कोड फॉर चैरिटी गवर्नेंस

THE INSTITUTE OF
Company Secretaries of India
भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान
IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
Statutory body under an Act of Parliament
(Under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs)

17 दिसम्बर 2020

© इन्स्टिटयूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया
सभी अधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन का कोई भी हिस्सा किसी भी रूप में या किसी भी रूप में अनुवादित या कॉपी नहीं किया जा सकता
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की पूर्व लिखित अनुमति के बिना।

द्वारा प्रकाशित :
भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान
आईसीएसआई हाउस, 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003
फोन: 41504444, 45341000, फैक्स: 24626727
वेबसाइट: www.icsi.edu, ई-मेल: info@icsi.edu

अनुवादक : लिंगुआ बिज़

"आपकी महानता अर्जित संपत्ति में नहीं बल्कि दान-पुण्य में है।"

उपरोक्त शब्द दान पुण्य और परोपकार के लिए सही हैं, वही यह भारतीय कंपनी सचिवों का संस्थान के विचार को भी दर्शाते हैं जो भारत में व उसके बाहर शासन की जड़ों का विस्तार करने का प्रयास कर रही है।

प्राचीन भारतीय शास्त्रों और धर्मों ने दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों को बढ़ावा दिया और समझा लेकिन उनके बीच की समानताएं ध्यान देने योग्य हैं; इनमें से प्रत्येक ने जरूरतमंदों को एक या दूसरे तरीके से दान करने के महत्व को बढ़ावा दिया है। इसी विचार ने सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) का रूप लिया जिसने समाज को बहुत कुछ दिया जो बाद में निगमित संस्कृति के आगमन के साथ निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में और विकसित हुआ।

जबकि स्वैच्छिक प्रथाएं सदियों पुरानी हो सकती हैं, सीएसआर की वितरण प्रथा को हाल ही में कानून के तहत अनिवार्य कर दिया गया है। इसने एक बड़ी भूमिका निभाई है और धर्मार्थ संस्थानों व संस्थाओं को उच्च स्थान दिया है, साथ ही यह उनके लिए भी है जो कॉरपोरेट्स और अंतिम लाभार्थियों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं।

उपरोक्त सभी को ध्यान में रखते हुए, ICSI ने दान शासन संहिता के तत्वावधान में धर्मार्थ संस्थाओं के संचालन के लिए समर्पित संहिता को विकसित किया। श्री जग्गी वासुदेव (सद्गुरु) के हाथों प्रकाशित, इसके नौ सिद्धांतों से संपन्न संहिता का उद्देश्य धर्मार्थ संस्थाओं में सुशासन के ढांचे को और मजबूत करना है।

अधिकतम लाभ प्राप्त करने, पाने और पुनः प्राप्त करने के लिए इसे वास्तविक हितधारकों तक ले जाने की आवश्यकता को समझते हुए, ICSI ने भारत की 10 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में इस संहिता का अनुवाद किया है। मैं मुद्रण और प्रकाशन निदेशालय द्वारा इस संहिता के अनुवाद और प्रकाशन

के लिए किये गए समर्पित प्रयासों की सराहना करता हूं।

मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन दिन-प्रतिदिन के कामकाज में पंचायतों और लाभार्थियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा व सुशासन के एक नए युग की शुरुआत करेगा। मैं इस प्रकाशन में सुधार के लिए उपयोगकर्ताओं / पाठकों द्वारा बताये गए किसी भी रचनात्मक सुझावों / टिप्पणियों की सराहना करूंगा।

सीएस आशीष गर्ग

अध्यक्ष

भारतीय कंपनी सचिवों का संस्थान

प्रस्तावना

को हि भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम् ।

को विदेशः सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् ॥

बलवान के लिए कुछ भी भारी नहीं है और ठीक वैसे ही लगातार प्रयास करनेवालों के लिए कोई भी गन्तव्यस्थल दूर नहीं है। अच्छी सीख पानेवाले व्यक्तियों के लिए कोई भी देश पराया नहीं होता और मधुर बोलीवाले व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता।

चाणक्य निति के उपरोक्त श्लोक के अनुसार, यदि अच्छी सीख पानेवाले व्यक्तियों के लिए कोई भी देश पराया नहीं होता, तो ऐसी किसी संस्था का गतिविधि क्षेत्र दूर कैसे हो सकता है जिसकी मंशा राष्ट्र के दिल और आत्मा में सुशासन की भावना पैदा करना है?

दान, दक्षिणा, व परोपकार ने समाज में विद्यमान असमानताओं के बीच की खाई को पाटने में एक अहम भूमिका निभाई है। जिस कार्य को एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में शुरू किया गया उसने समर्पित संगठनों और संस्थानों के निर्माण में अपनी भविष्य की दिशा को पाया। यह वो संस्थाएं थी जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से उस सामाजिक कारण के लिए समर्पित किया जिसके लिए उनकी स्थापना हुई थी।

वर्तमान में इन धर्मार्थ संस्थाओं की भूमिका और महत्व को समझते हुए और उससे भी ज्यादा, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को उनके बीच बांटने का काम निगमित संस्थाएं वैश्विक स्तर पर बखूबी कर रही हैं। हालाँकि हाल ही में हुए कुछ खुलासे ऐसे भी हैं जो आपको अपनी आँखें खोलने और अंतरात्मा को टटोलने के लिए मजबूर कर देंगे। और इसी आत्मिक खोज के परिणामस्वरूप धर्मार्थ संस्थाओं के आदर्श आचार संहिता ने अपना आकार और अस्तित्व प्राप्त किया है। सिद्धांतों से लबरेज कोड, जो सुशासन के लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं, राष्ट्रीय प्रशासन को सशक्त बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य निर्वाह करेंगे।

मैं सीएस (कुमारी) प्रीति मल्होत्रा, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएसआई और धर्मार्थ संस्थाओं के शासन सम्बंधित मुख्य समूह की अध्यक्ष, और समूह के अन्य सभी सदस्यों का जिन्होनें इस मुद्दे के प्रति उनके संवेदनशील दृष्टिकोण के लिए स्वीकार्यता व्यक्त की और इन सिद्धांतों को अंतिम रूप देने में व्यावहारिक सुझाव भी दिए, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस दस्तावेज़ के निर्माण में भाग लेने के लिए सचिवालय, आईसीएसआई, सीएस (डॉ:) पूजा राही, श्री मनोज कुमार, सीएस बानो डंडोना और सीएस समीर रहेजा, निगमित क़ानून व शासन निदेशालय के सदस्यों के प्रयासों की सराहना करता हूँ।

इस मौके पर मुझे ऐपल इंक के सीईओ टिम कुक के कहे कुछ शब्द याद आ रहे हैं, "आपको तालाब का वो कंकड बनना चाहिए, जो बदलाव की लहर पैदा करता है"। मुझे यकीन है कि संहिता, उसके सिद्धांत और उनके दिशा-निर्देश इस कंकड़ की भूमिका के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होंगे, जो न केवल बदलाव की लहर पैदा करेंगे, बल्कि धर्मार्थ संस्थाओं को संचालित करने के तरीके में भी बदलाव करेंगे।

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्।।

वह उपहार जिसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, इस भावना के साथ कि यह देना एक कर्तव्य है और जो सही जगह पर, सही समय पर और एक योग्य व्यक्ति को वो दिया जाता है "सात्विक दान" माना जाता है।

समुद्र में बारिश बेकार है, पहले से ही जिसका पेट भरा हुआ हो उसको भोजन करना बेकार है |
धनी के लिए दान बेकार है, और दिन में जलाया हुआ दीपकबेकार है ||

वृथा वृष्टिः समुद्रेषु, वृथा तृप्तेषु भोजनम् ।
वृथा दानं धनाढ्येषु वृथा दीपो दिवापि च ॥

सीएस (डॉ,) श्याम अग्रवाल
अध्यक्ष
भारतीय कंपनी सचिवों का संस्थान

तारीख़ : 22 नवंबर 2017
स्थान : नयी दिल्ली

प्रस्तावना

शासन को एक अवधारणा, अभ्यास या संस्कृति के रूप में बाध्य नहीं किया जा सकता है। देश के कॉरपोरेट्स के लिए शासन को प्रतिबंधित करना और यह मानना कि समाज के अन्य वर्ग उनकी उपस्थिति के बिना जीवित रह सकते हैं, बिलकुल गलत होगा। इसके बजाय समय की मांग यह है कि अन्य क्षेत्रों को कॉरपोरेट्स से भी ज्यादा महत्व दिया जाए।

अपने विभिन्न स्वरूपों में उपस्थित धर्मार्थ संस्थाएँ, विधानों के विभिन्न नियमों द्वारा शासित हैं, व आधुनिक निगमों के लिए सहायक संस्था के रूप में कार्य करती हैं, जबकि वे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ राष्ट्रीय विकास और विकास के लिए भी कार्यरत हैं। हालांकि, पिछले कुछ समय में इन संस्थाओं का अंधकार पक्ष भी प्रकाश में आया है। यह वो पक्ष है जो इन संगठनों के उद्देश्य को पीछे छोड़ते हुए, बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा डालता है।

वो संस्थाएं, जो बिना लाभ के या धर्मार्थ इरादे वाले होने का दावा करती हैं, उनपर भी आरोप लग रहे हैं और आंख खोलने वाले कुछ मामले सामने आ रहे हैं, जो न केवल नियामक निकायों या जनता को, बल्कि पेशेवर संस्थानों को भी आँखें खोलने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान जैसे व्यावसायिक संस्थान, जिनका आदर्श, लक्ष्य, और मिशन पूरे देश में सुशासन फैलाना है, वह वैश्विक स्तर पर भी अपनी सच्चाई की मशाल हाथों में लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं।

उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए, धर्मार्थ संस्थाओं के लिए एक शासन संहिता विकसित करने के लिए एक समिति का गठन बेहद आवश्यक था। संहिता का हर सिद्धांत इन संस्थानों के विभिन्न गतिविधियों के क्षेत्र पर काम करता है जबकि समग्रता में इस संहिता का उद्देश्य राष्ट्र की धर्मार्थ संस्थाओं को संचालन तंत्र प्रदान करना है, जो एक बेहद जरूरी बदलाव है। हालांकि ये संहिता प्रकृति में स्वैच्छिक है, लेकिन फिर भी धर्मार्थ संस्थाओं में सुशासन लाने के लिए एकदम सही साबित होगी।

ईमानदारी, अपने दूरगामी दृष्टिकोण और व्यावहारिक सुझावों के माध्यम से धर्मार्थ संस्थाओं के शासन सम्बंधित मुख्य समूह के प्रत्येक सदस्य की मैं प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने इस रचना के निर्माण को इतने कम समय के भीतर सफल कर दिखाया। मैं सीएस (डॉ:) श्याम अग्रवाल, अध्यक्ष, आईसीएसआई को उनके निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन व इस दस्तावेज को आकार देने में उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

मैं निगमित क़ानून व शासन निदेशालय, आईसीएसआई के प्रमुख समूह के सदस्यों सीएस (डॉ.) पूजा राही, श्री मनोज कुमार, सीएस बानो डंडोना और सीएस समीर रहेजा का भी धर्मार्थ संस्थाओं के शासन सम्बंधित आचार संहिता बनाने और लागू करने के लिए आभारी हूँ।

मुझे पूरी उम्मीद है कि यह संहिता, जिसे उचित चर्चा और विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है, धर्मार्थ संस्थाओं के लिए सुशासन के मार्ग को रोशन करेगा और अपने सामाजिक लक्ष्यों और जिम्मेदारियों की प्राप्ति में कॉर्पोरेट्स की सहायता करेगा।

सीएस (सुश्री) प्रीति मल्होत्रा

दिनांक: 22 नवंबर 2017, **अध्यक्ष**

जगह: नई दिल्ली **धर्मार्थ संस्थाओं का शासन सम्बंधित मुख्य समूह**

विषय सूची

अ.क्र.	*विवरण*	*पृष्ठ सं.*
1.	परिचय	1 – 1
2.	संहिता का उद्देश्य	3 – 3
3.	संहिता की प्रयोज्यता	4 – 5
4.	मार्गदर्शक सिद्धांत	6 – 6
5.	सिद्धांत 1: आदर्श और उद्देश्य	7 – 7
6.	सिद्धांत 2: कानून का पालन	8 – 8
7.	सिद्धांत 3: प्रभावी शाशी निकाय	9 – 10
8.	सिद्धांत4 : विविधता	11 – 12
9.	सिद्धांत 5: सुशासन	13 – 14
10.	सिद्धांत 6: हितों का टकराव	15 – 15
11.	सिद्धांत 7: जानकारी और पारदर्शिता	16 – 18
12.	सिद्धांत 8: सामुदायिक व्यस्तता	19 – 19
13.	सिद्धांत 9: अखंडता	20 – 21
14.	सिद्धांत10: स्थिरता	22 – 22
15.	अनुलग्नक A: शाशी निकाय के सामने प्रस्तुत की जानी वाली न्यूनतम जानकारी	23 – 13
16.	अनुलग्नक B: शासी निकाय के सदस्य द्वारा हित की सूचना	24 – 24
17.	अनुलग्नक C: शासी निकाय के सदस्यों के लिए अचार संहिता	25 – 25

परिचय

दान और परोपकार ने दुनिया भर में हर समाज के अन्तर्भाग का गठन किया है और भारतीय परिदृश्य भी इससे अलग नहीं है। लेकिन भिक्षा देना, यात्रियों के लिए सराय की स्थापना करना या यहां तक कि राजमार्गों पर पीने के पानी की व्यवस्था करने के माध्यम से जो शुरू हुआ था, वह अब इन सबसे कहीं अधिक बड़ा बन गया है। संस्थाएं, न्यास, सोसाइटी और कंपनियां जिनका गठन गैर लाभजनक संस्था के रूप में किया गया है, उपरोक्त कथन को साबित करने के लिए उन्हें अभी लम्बी दूरी तय करनी है।

एक राष्ट्र के लिए शासन के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि इसके प्रत्येक घटक खंड सुशासन की भावना और सिद्धांतों का पालन करें। गैर-सरकारी संगठन धर्मार्थ और परोपकारी प्रकृति की गतिविधियों के वो पहिये हैं जो विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं में समावेशी विकास के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहते हैं।

जहां एक ओर सरकार विभिन्न प्रकार की पहल करती है, वहीं गैर-सरकारी संगठन अर्थव्यवस्था की देखभाल और उसके मुद्दों को संबोधित करके एक सहायक प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। बाल अधिकारों का संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्तियों को सक्षम बनाना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि के विकास को बढ़ावा देना, कला और शिल्प को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें धर्मार्थ संस्थाएँ समाज में एक बदलाव लाने का काम करती हैं जो एक विशाल विविधता के संकेत हैं।

जैसा की पहले उल्लेखित है, भारत में विभिन्न संस्थाएं दान दक्षिणा या सेवा भाव कार्य करती हैं जैसे भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत न्यास और संबंधित राज्यों द्वारा तैयार प्रासंगिक क़ानून, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत सोसायटी, और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कम्पनियाँ जो धर्मार्थ का कार्य करती हैं।

चूँकि धर्मार्थ संस्थाएँ विभिन्न स्रोतों से धन लाभ पर भरोसा करती हैं, जिनमें व्यक्तिगत दाता, संस्थाएं, निगम और सरकार शामिल है, इसलिए उनके मामलों को प्रबंधित करने और उन्हें संचालित करने में सुशासन के उच्चतम मानकों का सुनिश्चित होना बेहद जरुरी है। हालाँकि यह संहिता धर्मार्थ संस्थाओं के लिए सभी कानूनी आवश्यकताओं को लागू करने का प्रयास नहीं करती है, फिर भी यह उन सिद्धांतों और मानकों का एक समूह को निर्धारित करती है, जिन्हें ऐसे संगठनों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर अपनाया जा सकता है ताकि उनके कामकाज में और शासन पारदर्शिता में पर्याप्त सुधार को सुनिश्चित किया जा सके।

इन नियमों को अपनाने वाले धर्मार्थ संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक प्रमाण पत्र के साथ यह उल्लेख करना भी आवश्यक होगा कि उक्त संहिता/नियमों के सभी सिद्धांतों का विधिवत अनुपालन किया गया है।

इस बात का भी अनुरोध किया जाता है कि संस्थाओं के नियामकों को अधिक पारदर्शिता के लिए, प्रपत्रों के ई-फाइलिंग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

संहिता का उद्देश्य

जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारतीय परिदृश्य में धर्मार्थ संस्थाएँ विभिन्न अधिनियमों के तहत गठित, स्थापित और पंजीकृत हैं। उनके संबंधित निकाय को नियंत्रित करने वाला प्रत्येक ऐसा नियामक ढांचा अपने संबंधित समकक्षों के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेल नहीं खाते व अलग हैं। हालांकि, यह तथ्य कि ये संगठन समाज के उन वर्गों के उत्थान का समर्थन करते हैं जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि में भाग लेने और योगदान करने में सक्षम नहीं हैं। साथ ही ये एक समान नियम बनाने का भी समर्थन करते हैं, जो न केवल प्रथाओं का, बल्कि सिद्धांतों और मानकों का, व राष्ट्र की उन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं जिनका संबंध धर्मार्थ संस्थाओं से है।

विचारों में विविधता व उद्देश्यों में भिन्नता के बाद भी, अंतिम लक्ष्य हमेशा एक मजबूत नींव प्रदान करने का होना चाहिए जो दृड़ता से सिद्धांतों का पालन करे।

संहिता का लक्ष्य

एक आदर्श प्रशासन संहिता बनाने के उद्देश्यों को निम्नलिखित पाँच बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है:

- स्थापना के अपने प्रारूप के बावजूद धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित संगठनों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों और मानकों का एक समूह प्रदान करने के लिए
- मौजूदा व्यवस्था और प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए सिद्धांतों का एक समूह प्रदान करने के लिए जिससे धर्मार्थ संगठनों के कामकाज में अनुशासन लाया जा सके
- संगठनों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की मजबूती को बढ़ावा देना
- कॉरपोरेट्स और नियामक अधिकारियों सहित धर्मार्थ संस्थाओं के साथ काम करने वाले विभिन्न हितधारकों कि सुविधा का ध्यान रखना और और उनके विशवास के स्तर को बढ़ाना
- ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा से सम्बंधित उचित व्यवस्था करने के लिए नियामकों से आग्रह करना और इसे अनिवार्य बनाना

संहिता की प्रयोज्यता

धर्मार्थ संस्थाओं के लिए शासन सम्बंधित आचार संहिता, अनुदान, दान प्राप्त करनेवाले और धर्मार्थ गतिविधियों /धार्मिक गतिविधियों व जहां सार्वजनिक हित शामिल है, ऐसे सभी पंजीकृत संस्थाओं पर लागू होगी।

परिभाषा

इस संहिता में जब तक संदर्भ कुछ अलग व्यक्त नहीं कर रहा है:

'संबद्ध या समूह इकाइयाँ' का अर्थ एक ऐसी इकाई है जिसमें धर्मार्थ संस्था के शासी निकाय के सदस्य या उसके रिश्तेदार शासी निकाय या प्रमोटर या निदेशक या भागीदार का सदस्य होता है, जो पच्चीस प्रतिशत से कम की मतदान शक्ति नहीं रखते हैं फिर चाहे वो अकेले हो या अन्य प्रमोटर, निर्देशक, सहभागी, या रिश्तेदार के साथ हो।

'धर्मार्थ इकाई' या 'धर्मार्थ संगठन'(बाद में इसे इकाई या संगठन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है) एक ऐसी इकाई है जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत पंजीकृत है और संबंधित राज्यों द्वारा तैयार प्रासंगिक क़ानून का पालन करती है, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत सोसायटी, और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) के तहत पंजीकृत कम्पनियाँ जो धर्मार्थ का कार्य करती हैं।

"हितों का टकराव'' या मतभेद का अर्थ है कोई ऐसी स्थिति जिसमें शासी निकाय के सदस्य के पास वित्तीय या अन्य हित हो सकते हैं जो कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता को विवादास्पद रूप से ख़त्म कर सकता हैं।

'शासी निकाय का अर्थ है न्यासी बोर्ड, प्रबंधन समिति या व्यक्तियों का समूह जिनको धर्मार्थ इकाई के प्रबंधन और शासन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी/जाती है।

'मुख्य कार्यकारी' का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो इस संस्था के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, सचिव, या कोषाध्यक्ष की भूमिका निभाएगा फिर चाहे वो अकेले यह जिम्मेदारी ले या

कइयों के साथ।

'रिश्तेदारों' का मतलब किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्य हैं जो व्यक्तिगत कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं या प्रभावित कर सकते हैं, इसमें शामिल होंगे:

a. पति या पत्नी;

b. बच्चे;

c. भाई / बहन;

d. माता-पिता; तथा

e. आश्रित लोग

मार्गदर्शक सिद्धांत

क्र. सं.	सिद्धांत सं.	सिद्धांत
1.	सिद्धांत 1:	आदर्श और उद्देश्य
2.	सिद्धांत 2:	कानून का पालन
3.	सिद्धांत 3:	प्रभावी शाशी निकाय
4.	सिद्धांत 4:	विविधता
5.	सिद्धांत 5:	सुशासन
6.	सिद्धांत 6:	हितों का टकराव
7.	सिद्धांत 7:	जानकारी और पारदर्शिता
8.	सिद्धांत 8:	सामुदायिक व्यस्तता
9.	सिद्धांत 9:	अखंडता
10.	सिद्धांत 10:	स्थिरता

सिद्धांत 1

आदर्श और उद्देश्य

औचित्य:

प्रत्येक इकाई के स्थापना के अपने उद्देश्य के आलावा भी उनका गतिपथ बिलकुल स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी इकाई दिशा के बिना कार्य नहीं कर सकती है। उक्त सिद्धांत का गतिपथ काफी तर्कपूर्ण है ।

दिशा निर्देश:

1.1. संस्था के पास एक अच्छी तरह से परिभाषित, स्पष्ट और संक्षिप्त उद्देश्य और मिशन विवरण होना चाहिए जो शासी निकाय द्वारा अनुमोदित हो और जनता तक संचार किया गया हो ।

1.2. इस तरह के उद्देश्य और मिशन के विवरण की नियमित रूप से बदलती पर्यावरण परिदृश्यों के अनुकूल नियमित आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए।

1.3. जिन लक्ष्यों के लिए इकाई की स्थापना की गई है, उनकी रूपरेखा अच्छी तरह से तैयार की जानी चाहिए और एक साथ मिलकर उन्हें उद्देश्यों के घोषणापत्र के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए।

1.4. उद्देश्यों का घोषणापत्र प्रभावी निर्णय लेने के साथ-साथ चयन या किसी विशेष परियोजना या कार्यक्रम के दौरान होने वाले विवादों के मामले में विवादों के समाधान के लिए शासी निकाय के एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा।

1.5. धर्मार्थ इकाई को अलग-अलग उद्देश्यों के घोषणापत्र तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर वो संस्था के उपनियमों के समान रूपों का हिस्सा होगा तो।

1.6. संस्था के शासी निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके संचालन और कार्यक्रम घोषणापत्र में सूचीबद्ध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्णित उद्देश्य और मिशन के अनुरूप हैं।

सिद्धांत 2

कानून का पालन

औचित्य:

जहां तक धर्मार्थ संस्थाओं या गैर-सरकारी संगठनों का संबंध है, यह देखा गया है कि हर राज्य के लागू कानूनों की सूची में तेजी से बदलाव होता है। यह कहना गलत नहीं कि किसी न्यास/संस्था पर लागू होने वाला कोई भी कानून 'समाज' पर लागू होने वाले कानूनों से काफी हद तक अलग है। ऐसे परिदृश्य में यह बहुत जरूरी है कि प्रत्येक इकाई/संस्था कानूनों, उपनियमों, नियमों और विनियमों का ध्यान रखें और पूरी लगन से उन नियमों के पालन का प्रयास करे।

दिशा निर्देश:

1.1. प्रत्येक इकाई को निश्चित समय पर लागू होने वाले सभी कानूनों, अधिनियमों, उपनियमों, नियमों और विनियमों की एक सूची तैयार करनी चाहिए।

1.2. ऐसी सूची को समय-समय पर बैठक के दौरान इकाई के शासी निकाय के समक्ष रखा जाना चाहिए।

1.3. किसी स्वतंत्र पेशेवर द्वारा एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए कि इकाई ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया है।

सिद्धांत 3

प्रभावी शाशी निकाय

औचित्य:

किसी इकाई/संस्था के शाशी निकाय को दी गयी जिम्मेदारी और भूमिका की सही रूप से व्याख्या की जानी चाहिए फिर चाहे वो आम व्यक्ति की हो या ख़ास(उच्च पद धारक) व्यक्ति की। इससे न केवल उनके अधिकार क्षेत्र का सीमांकन होगा, बल्कि उन्हें हितधारकों के साथ-साथ नियामक अधिकारियों की अपेक्षाओं के बारे में भी पता चलेगा। संदर्भ की शर्तों को सूचीबद्ध करते हुए एक लिखित घोषणापत्र तैयार करना अच्छा विकल्प है जो इकाई/संस्था के शासी निकाय की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करेगा।

दिशा निर्देश:

शासी निकाय को सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

1.1. उद्देश्य और मिशन के बयानों को प्रारूपित करना, इकाई के मूल्यों और मानकों को निर्धारित करना (नैतिक मानकों सहित)

1.2. उद्यम के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए, उद्यमशीलता और रणनीतिक दोनों नेतृत्व प्रदान करना;

1.3. इकाई/संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय और मानव संसाधनों की उपलब्धता और प्रभावी व कुशल तैनाती को सुनिश्चित करना;

1.4. एक प्रभावी और विवेकपूर्ण नियंत्रण ढांचे की स्थापना करना जिसमें संभव जोखिमों के मूल्यांकन और प्रबंधन को सक्षम करने और इकाई/संस्था की संपत्ति की सुरक्षा शामिल हो

1.5. इकाई/संस्था और उसके विभिन्न घटक खंडों के प्रदर्शन की समीक्षा करना, जिसमें उद्देश्य घोषणापत्र में वर्णित विभिन्न व्यावसायिक और वाणिज्यिक पहल शामिल हो ;

1.6. प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करना और उनमें से प्रत्येक के प्रति अपने दायित्वों को

पहचानना और उनके उचित अनुपालन को सुनिश्चित करना; तथा

1.7. स्थिरता के मुद्दों का प्रबंधन, उदाहरण के तौर पर इकाई की दीर्घकालिक उपस्थिति, कामकाज और संचालन के लिए रणनीतिक निर्माण के हिस्से के रूप में प्राकृतिक और सामाजिक कारक।

सिद्धांत 4

विविधता

औचित्य:

शाशी निकाय के सदस्य विश्लेषण और प्रभावी समस्या के समाधान के माध्यम से निकाय की कार्यनीतियों के निर्वाह के लिए जिम्मेदार हैं। शासी निकाय अब उचित निर्णय लेने के लिए उपयुक्त है यह सुनिश्चित करने के लिए कौशल, विशेषज्ञता और अनुभव का एक इष्टतम मिश्रण आवश्यक है। शासी निकाय में विविधता के कई पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, जिसमें लिंग, आयु, सांस्कृतिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि, पेशेवर अनुभव, कौशल और ज्ञान शामिल हैं। किसी संस्था को समझने और शासित करने के लिए विशेषज्ञता, सूचना और उपलब्धता की जरूरत होती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति/ सदस्य के पूर्णतः जानकार होने की अपेक्षा करना अनुचित हैं।

धर्मार्थ संस्था के शासी बोर्ड में विविधता को बढ़ावा देने के कई उद्देश्य हैं, लेकिन वह निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:

- प्रदर्शन की गुणवत्ता में वृद्धि;
- प्रभावी निर्णय लेना;
- पर्याप्त लिंग प्रतिनिधित्व;
- सामूहिक रूप से सदस्यों के अद्वितीय व्यक्तिगत कौशल, अनुभव, ज्ञान का दोहन

दिशा निर्देश:

1.1. अनुकूलतम संरचना:

शासी निकाय में उपयुक्त कौशल, ज्ञान और अनुभव रखने वाले स्वतंत्र, कार्यकारी और गैर-कार्यकारी सदस्यों का एक अनुकूलतम संयोजन होना चाहिए।

1.2. लैंगिक विविधता:

पुरुषों की तुलना में महिला सदस्य अपने कामकाजी जीवन और गैर-कामकाजी जीवन से अलग अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। शासी निकाय को बोर्ड में कम से कम एक महिला सदस्य होना आवश्यक है ताकि अधिक समरूप लोगों की तुलना में नए विकल्पों के मूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम हो सके। इससे निर्णय लेने की रचनात्मकता और गुणवत्ता में सुधार प्राप्त होगा।

सिद्धांत 5

सुशासन

औचित्य:

प्रत्येक धर्मार्थ संस्था व्यक्तियों के एक समूह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है जिन्हें उन्होंने या हितधारकों ने निर्वाचित किया है। ऐसे व्यक्ति/समूह संस्था में जिम्मेदार पद पर होते हैं इन्हे या इसको शाशी निकाय भी कहा जाता है जो निर्णय लेने का कार्य करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्यकारी प्रबंधन पूरी लगन के साथ अपनी गतिविधियाँ कर रहा है। ऐसे परिदृश्य में, यह आवश्यक है कि शाशी निकाय अपने कामकाज और बैठकों में शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखे।

दिशा निर्देश:

1.1. संस्था को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक कार्यक्रम का परिव्यय और प्रस्तावित परिणाम संचालन से पहले परिचालन निकाय के सामने रखा जाए और नियमित रूप से उसकी निगरानी की जाए।

1.2. जिन मामलों को शाशी निकाय के सामने रखा जा सकता है उनकी एक विचारोत्तेजक सूची **अनुबंध A** में रखी गई है।

1.3. नीतिगत ढांचा:

इकाई/संस्था के शाशी निकाय को एक अच्छी तरह से तैयार किये गए नीतिगत ढाँचे द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जिसमें इकाई के विभिन्न गतिविधि क्षेत्रों को शामिल किया गया हो, लेकिन यह निम्नलिखित तक सीमित न हो:

- धनसंग्रह;,
- निवेश;
- संसाधनों की तैनाती;
- ध्यानाकर्षण; तथा

- शाशी निकाय के सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

1.4. रिश्तेदारों के साथ लेनदेन:

- शासी निकाय के सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों के रिश्तेदारों के साथ एक इकाई द्वारा किए गए सभी लेनदेन शाखा/संस्था के आर्म्स लेंथ बेसिस के आधार पर होने चाहिए
- इस तरह के लेनदेन को शासी निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाना चाहिए और इसका विवरण सार्वजनिक डोमेन में इकाई की वेबसाइट पर एक प्रकटीकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए

1.5. मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:

शाशी निकाय, इकाई के प्रमुख अधिकारियों की अपेक्षा के अनुसार भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विवरण देने वाले एक घोषणापत्र को विकसित कर सकता है।

सिद्धांत 6

हितों का टकराव

औचित्य:

हितों का टकराव या मनमुटाव या मतभेद तब पैदा होते हैं जब किसी व्यक्ति के निजी हित उसके दायित्वों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आंशिक या सम्पूर्ण पक्षपाती निर्णय हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में संभावित हानिकारक परिणाम हो सकते हैं और इकाई/संस्था की प्रतिष्ठा को भी हानि पहुँच सकती है। यह तब भी हो सकता है जब किसी व्यक्ति के पेशेवर निर्णय और / या वास्तव में किये गए कार्य व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के विचार से प्रभावित होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि शाशी निकाय का सदस्य संबंधित पक्षों के साथ वाणिज्यिक / वित्तीय प्रकृति का व्यवहार / लेनदेन कभी नहीं कर सकता है। यदि आवश्यक हो, तो इस तरह के लेनदेन प्रकटीकरण और उच्चस्तरीय जांच के अधीन होंगे।

1.1 यदि शासी निकाय का एक सदस्य या अध्यक्ष कार्यसूची के किसी भी विषय में रुचि रखते हैं, तो इस तरह के तथ्य को इस विषय पर विचार से पहले बैठक में सबके सामने लाया जाएगा।

1.2 किसी भी सदस्य के इस तरह के खुलासे या किसी प्रकार के मतभेद को बैठक में ही दर्ज किया जायेगा और उसपर विचार व चर्चा की जाएगी, साथ ही चर्चा/मतदान की मदद से तुरंत ही उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा।

1.3 अध्यक्ष किसी भी गैर-इच्छुक सदस्य को उस कार्यसूची के विषय के संबंध में चर्चा के लिए अपनी कुर्सी को छोड़ देगा, जिसमें वह रुचि रखता है।

1.4 शासी निकाय का कोई भी सदस्य जिसने अपने हितों के टकराव/मनमुटाव का खुलासा किया है, न तो गणपूर्ति के निर्धारण के लिए गिना जाएगा और न ही सदस्य उस विषय पर चर्चा और मतदान के दौरान भाग लेगा जिसमें उस सदस्य की रुचि हो।

1.5 शाशी निकाय का प्रत्येक सदस्य और संस्था का प्रत्येक मुख्य कार्यकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में उन संस्थाओं का खुलासा करेगा, जिसमें वह प्रमोटर, निदेशक, भागीदार, शाशी निकाय के सदस्य के पद पर है और उन अन्य सूचनाओं को भी साझा करेगा जिनमें हितों के टकराव हो सकते हैं। ऐसी घोषणा का एक नमूना प्रारूप अनुबंध बी में रखा गया है

सिद्धांत 7

जानकारी और पारदर्शिता

औचित्य:

एक धर्मार्थ संस्था का शासी निकाय, हर दूसरी इकाई के समान, एक से अधिक हितधारकों के प्रति जवाबदेह है। इसकी कतई संभावना नहीं है कि एक हितधारक के हितों को दूसरे के लाभ के लिए दांव पर लगाने से सुशासन मिल सकता है। कार्यक्रम शुरू करते समय हितधारकों के सामने ध्यानपूर्वक जानकारी का खुलासा करना चाहिए। इस सिद्धांत का अनुपालन बहुआयामी प्रभाव के द्वारा संचालन में पारदर्शिता लाकर शासी निकाय की समग्र अखंडता को बढ़ाता है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि पारदर्शिता और खुलासे सुशासन का आधार बनते हैं, व संबंधित संस्थाओं का मार्गदर्शन करने के लिए विकसित हर निगमित प्रशासन संहिता के रूप में इनका इस्तेमाल किया गया है। जहां तक धर्मार्थ संस्थाओं का संबंध है, यहाँ भी परिदृश्य बिलकुल अलग नहीं है। चयन में पारदर्शिता बनाए रखने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित खुलासे की जिम्मेदारी इकाई के शाशी निकाय की भूमिका के दायरे में आती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर, धन के स्रोत, और व्यवस्थित तरीके से प्राप्त दान के रिकॉर्ड रखने से यह सुनिश्चित करना आसान होता है कि इकाई/संस्था सुशासन के उच्चतम मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

दिशा निर्देश:

1.1. धर्मार्थ इकाई के कामकाज और संचालन से संबंधित सभी दस्तावेज और अभिलेख ठीक से बनाए और रखे जाएंगे।

1.2. इकाई द्वारा किए गए प्रत्येक कार्यक्रम या परियोजना के बारे में जानकारी को निरंतर अंतराल पर प्रकाशित किया जाना चाहिए

1.3. परोपकार और दान:

1.3.1. सभी दाताओं और सदस्यों का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में हो या किसी और रूप में

1.3.2. दान, परोपकार, प्राप्तियां, सदस्यता, और अनुदान, आदि को बैठक में शाशी निकाय के सामने रखा जाना चाहिए।

1.3.3. धर्मार्थ इकाई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी दान, परोपकार, प्राप्तियां, सदस्यता, और अनुदान, आदि का ठीक से हिसाब लगाया जाए और उसका उपयोग इच्छित उद्देश्य(जहाँ जरूरी हो) के लिए किया जाए

1.3.4. एक स्वतंत्र पेशेवर द्वारा अपने संबंधित निकायों के आचार संहिता के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा, जिसमें कहा जायेगा कि वर्ष के दौरान प्राप्त सभी दान, परोपकार, प्राप्तियां, सदस्यता और अनुदान आदि का उपयोग संबंधित परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए किया गया है।

1.4. वार्षिक रिपोर्ट के खुलासे:

- शासी निकाय की संरचना
- धर्मार्थ संस्था के शासी निकाय की बैठकों की संख्या
- वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों में शासी निकाय के सदस्यों की उपस्थिति
- परियोजनाओं और कार्यक्रमों का अवलोकन
- शाशी निकाय के सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उसके रिश्तेदारों का पारिश्रमिक
- संबद्ध या समूह संस्थाओं के साथ धर्मार्थ संस्था द्वारा किए गए लेनदेन
- शाशी निकाय के सदस्यों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की अध्यक्ष द्वारा पुष्टि
- अन्य सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ प्रमुख दाताओं की सूची
- धर्मार्थ संस्थाओं के लिए शासन सम्बंधित आचार संहिता के अनुपालन से सम्बंधित एक स्वतंत्र पेशेवर से प्राप्त प्रमाण पत्र

1.5. वेबसाइट पर खुलासे:

निम्नलिखित वस्तुओं को धर्मार्थ इकाई की वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए जिसे नियमित या कम से कम तिमाही आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए:

- इकाई/संस्था का आदर्श और मिशन
- शाशी निकाय के सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों की संक्षिप्त जानकारी

- परियोजनाओं और कार्यक्रमों का अवलोकन
- शाशीनिकाय द्वारा अनुमोदित नीतियां
- परीक्षित वित्तीय विवरण और वार्षिक रिपोर्ट का लेखा जोखा
- पुरस्कार और मान्यता
- शाशी निकाय के सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों के रिश्तेदारों के साथ संस्था द्वारा किए गए लेन-देन
- कोई भी घटना या सूचना जो शाशी निकाय की राय में भौतिक हो
- शासी निकाय के सदस्यों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की अध्यक्ष द्वारा पुष्टि
- धर्मार्थ संस्थाओं के लिए शासन सम्बंधित आचार संहिता के अनुपालन से सम्बंधित एक स्वतंत्र पेशेवर से प्राप्त प्रमाण पत्र
- पिछले 3 वर्षों के विवरणों के साथ प्रमुख दाताओं की सूची

सिद्धांत 8

सामुदायिक व्यस्तता

औचित्य :

प्रत्येक धर्मार्थ संस्था का अंतिम लक्ष्य समाज के उन वर्गों को लाभ पहुंचाना है, जिनके लिए ये परियोजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस मामले में, समुदाय, हितधारकों और परियोजना के लक्ष्य समूह के साथ जुड़ाव का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इकाई की परियोजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों के प्रभावों को महसूस करना, उनका आंकलन करना और समझना अनिवार्य है।

दिशा निर्देश:

1.1 शाशी निकाय को अपने आप या समर्पित कर्मियों के माध्यम से एक नियमित आधार पर सामुदायिक बातचीत में संलग्न होना चाहिए

1.2 इस तरह का कार्य और बातचीत का मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है खासकर इन दो तरीकों से:

1.2.1 बेस-लाइन और एंड-ऑफ-प्रोजेक्ट; तथा

1.2.2 घटना के आधार पर।

1.3 जबकि बेस-लाइन और एंड-ऑफ-प्रोजेक्ट मूल्यांकन को अनुमान लगाने के लिए आयोजित किया जाएगा, घटना पर आधारित बातचीत का संचालन इकाई द्वारा किए गए परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना होगा, ताकि यह विश्लेषण किया जा सके कि क्या परिणाम उन परियोजनाओं के अनुरूप हैं जो प्रस्तावित और अपेक्षित थे।

सिद्धांत 9

अखंडता

औचित्य:

ईमानदारी और अखंडता किसी भी संस्था के नेतृत्व की नींव होती है, यह भूमिका एक धर्मार्थ संस्था में शासी निकाय द्वारा निभाई जाती है। वर्तमान में हर चीज़ का गलत इस्तेमाल या यूँ कहें की गलत फायदा उठाया जा रहा है, यहाँ तक की समाज सेवी संस्थाएं और न्यास भी पैसों के हेर फ़ेर की वजह से या गलत कारणों की वजह से चर्चा का विषय बने रहते हैं। इसलिए यहाँ यह अनिवार्य से भी अधिक हो जाता है कि शासी निकाय, हर समय, अपने सभी निर्णयों में, ईमानदारी का स्तर बहुत ऊँचा रखे। यह कहना गलत नहीं होगा कि एक नैतिक और पेशेवर इकाई या संगठन, उन जोखिमों के खिलाफ सबसे अच्छा बचाव है जिसमें अनुचित आचरण, कदाचार और भ्रष्टाचार आदि शामिल है।

आचार संहिता एक निश्चित व्यक्ति या संगठन में नैतिकता और मूल्यों से संबंधित नियमों को लागू करने वाले नियमों का एक समूह है। एक धर्मार्थ इकाई और शासी निकाय अलग नहीं हैं, बल्कि इस मामले में दोनों का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

आचार संहिता को एक स्पष्ट दस्तावेज नहीं होना चाहिए जिसमें विस्तृत नीतियां हों बल्कि उन पर हस्ताक्षर करने और पुष्टि करने वालों के लिए उनकी प्रकृति सरल होनी चाहिए।

दिशा निर्देश:

1.1 शासी निकाय को हितधारकों के प्रति अपने सभी निर्णयों और खुलासों में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे उनकी जवाबदेही कई गुना बढ़ जाएगी।

1.2 आचार संहिता:

1.2.1 अपने शासी निकाय के माध्यम से इकाई को ईमानदारी के उच्च मानकों का प्रचार करना चाहिए, जिससे बाहर के हितधारकों और आचार संहिता से प्रभावित सदस्यों को एक सही संदेश दिया जा सके।

1.2.2 आचार संहिता शासी निकाय के सदस्यों और इकाई/संस्था के प्रमुख अधिकारियों के लिए प्रयोज्य होगी।

1.2.3 इकाई/संस्था में किसी की भी नियुक्ति पर तुरंत ही अचार संहिता पर हस्ताक्षर किया जाएगा या फिर संहिता लागू होने के बाद हस्ताक्षर किया जाएगा। जैसा भी मामला होगा उस हिसाब से।

1.2.4 आचार संहिता का पालन शासी निकाय के सभी सदस्यों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए और उक्त संहिता के विचलन से निपटने के लिए पर्याप्त तंत्र लागू किये जाने चाहिए

1.2.5 शासी निकाय के सदस्यों के लिए एक आदर्श आचार संहिता इस संहिता के अनुबंध C में रखी गई है।

सिद्धांत 10

स्थिरता

औचित्य:

स्थिरता एक उद्यम की समय के साथ एक प्रक्रिया या स्थिति को सहने या बनाए रखने की क्षमता है। एक प्रणाली या एक संगठन को टिकाऊ तब माना जाता है जब वह न केवल स्वयं का बल्कि इसके आसपास के वातावरण के लिए भी सहायक बनता है। एक धर्मार्थ इकाई, जो आम तौर पर अपने परिवेश का समर्थन करने के इरादे से बनाई जाती है, को अर्थव्यवस्था में प्रचलित किसी भी अन्य संगठन की तुलना में अधिक टिकाऊ होने की आवश्यकता होती है, खासकर वित्तीय, संगठनात्मक और कार्यक्रम संबंधी मोर्चों पर उसे और अधिक सटीक रूप से टिकाऊ होने की आवश्यकता होती है।

स्थायी होना एक संस्था या इकाई के लिए समय की मांग हो सकती है, इसका महत्व इकाई में विश्वास के विकास के लिए हितधारकों और दाताओं में किसी भी प्रकार से कम नहीं माना जा सकता है।

दिशा निर्देश:

1.1 इकाई/संस्था को अपनी दीर्घकालिक उपस्थिति की कल्पना करते हुए, निधियों के स्थिर और निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने वाली परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए और इकाई के संचालन में निरंतरता बनाए रखने के लिए राजस्व उत्पन्न करना चाहिए।

1.2 इकाई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके प्रमुख हितधारकों और दाताओं के साथ संचार में संलग्न होने के लिए एक उपयुक्त रणनीति अपनाई जाए

1.3 हर नयी परियोजना में हितधारकों की तरफ से कई तरह की रोक लगाई जाती है। शासी निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि समुदाय, स्थानीय सरकार और नियामक प्राधिकरणों के साथ लक्षित समूह को परियोजना के लाभों के बारे में सचेत और सूचित किया जाए।

1.4 इकाई को अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए कॉर्पोरेट्स के साथ साझेदारी करते समय, लेनदेन के संपूर्ण दुरुपयोग से बचने के लिए लेन-देन में पूर्ण पारदर्शिता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जैसे कि धन वसूलना आदि।

इस तरह के चेक और बैलेंस इकाई की नींव को स्थिर करने में एक लंबा रास्ता तय करते हैं, जिससे इसकी उपस्थिति और संचालन टिकाऊ होती है।

अनुलग्नक A

शाशी निकाय के सामने प्रस्तुत की जानी वाली न्यूनतम जानकारी

1. संचालन की आवधिक मूल्यांकन की संरचना और प्रतिवेदन;
2. शुरूआत से पहले परियोजनाओं का परिव्यय और प्रस्तावित परिणाम;
3. शासी निकाय और कार्यकारी प्रबंधन के सदस्यों की प्रस्तावित नियुक्ति और निष्कासन;
4. शासी निकाय के सदस्यों द्वारा किए गए हितों के टकराव का खुलासा;
5. वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक योजना और बजट;
6. प्रासंगिक विधियों के तहत किए गए अनुपालन की ऑडिट और अनुपालन प्रतिवेदन;
7. अचल संपत्ति का अधिग्रहण या निपटान, यदि कोई हो;
8. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त
9. कारण, मांग, अभियोजन की सूचना और दंड की सूचना जो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण हों
10. शासी निकाय के सदस्यों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की अध्यक्ष द्वारा पुष्टि।
11. धर्मार्थ संस्थाओं के लिए शासन सम्बंधित आचार संहिता के अनुपालन से सम्बंधित एक स्वतंत्र पेशेवर से प्राप्त प्रमाण पत्र

अनुलग्नक B

शासी निकाय के सदस्य द्वारा हित की सूचना

सेवा

शासी निकाय के सदस्य

(धर्मार्थ संस्था का नाम)

(पता)

प्रिय महोदय / महोदया

मैं, _____, के पुत्र / पुत्री / जीवनसाथी, _____ _____ पते पर _____के शासी निकाय का सदस्य होने के नाते, _____ जिसका पंजीकृत पता _____ निम्नलिखित हितों में मेरी रुचि या चिंता का नोटिस देता/देती हूँ:

क्र. सं.	कंपनी / निकाय कॉर्पोरेट / फर्म / व्यक्तियों के संघ के नाम	हितों या चिंता की प्रकृति / हितों या चिंता में परिवर्तन	शेयरधारक	वह तिथि जिस पर हित या चिंता उत्पन्न हुई / बदली गई

हस्ताक्षर

जगह :

ताऱीख :

अनुलग्नक C

शासी निकाय के सदस्यों के लिए अचार संहिता

शासी निकाय के सदस्य:

I) अपने कर्तव्यों का निर्वहन पेशेवर रूप से, उचित परिश्रम, दक्षता और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ करें;

II) इकाई और उसके हितधारकों के सर्वोत्तम हित के संवर्द्धन के उद्देश्य से उन्हें दी गई शक्तियों का उपयोग करें और शक्तियों के दुरूपयोग से बचें;

III) केवल संगठन के हित को बढ़ावा देने के लिए इकाई के नाम और संसाधनों का उपयोग करें;

IV) इकाई के उपनियमों के साथ अन्य लागू कानूनों का पालन करने का प्रयास करें;

V) उन परिस्थितियों से बचें जो हितों के टकराव को जन्म दे सकती हैं और जल्द से जल्द संभव समय पर शासी निकाय को बताएं;

VI) अपने कर्तव्यों के दौरान प्राप्त जानकारी के संबंध में गोपनीयता बरक़रार रखें और उनके जनादेश की समाप्ति के बाद इस दायित्व का पालन करें;

VII) इकाई/संस्था के बाहर किसी व्यक्ति के लिए कुछ करते समय किसी भी प्रकार की कोई गोपनीय जानकारी दूसरों के सामने उजागर न करना जब तक की उसकी आवश्यकता हो।

VIII) शासी निकाय की बैठकों की कार्यवाही और निकायों के लिए व्यक्तिगत सदस्यों के मतदान व्यवहार का निकाय के बाहर व्यक्तियों को खुलासा न करें;

IX) उनके कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों का उचित उपयोग करें;

X) कभी भी स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति का इकाई/संस्था के संबंध में उत्पन्न किसी भी अवसर से ध्यान न हटाएँ;

XI) किसी भी प्रकार का उपहार, मनोरंजन, या आतिथ्य को स्वीकार नहीं करें जब तक वो शिष्टाचार की सामान्य अभिव्यक्ति में ना आये, जहां वे इकाई की प्रतिष्ठा से समझौता नहीं कर रहे हैं, और

जहां इसे शासी निकाय की सदस्य के रूप में निष्पक्ष तरीके से कार्य करने में बाधा नहीं माना जाता हो

XII) साथी सदस्यों, कर्मचारियों के प्रति हतोत्साहित या व्यक्तिगत हमले न करें;

XIII) शासी निकाय के सदस्य के रूप में कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जो समय आवश्यक है उतना समय दें;

XIV) इकाई से संबंधित सार्वजनिक बयान जारी करने में अत्यधिक सावधानी बरतें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....